दिनांक 21.01.2026 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

अवैध रूप से संचालित मांस–मटन दुकान को निगम ने किया बेदखल

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के प्रातः निरीक्षण में खुले में अवैध रूप से दुकान लगाकर मांस–मटन विक्रय करते पाया गया। निगम क्षेत्र में अवैध दुकान संचालित कर मांस–मटन विक्रय प्रतिबंधित किया गया है, उसके बाद भी मुख्य चौराहे पर कटिंग कर बेचा जा रहा था।

जोन–3 सुभाष चौंक में अवैध रूप से दुकान लगाकर खुले में मांस–मटन विक्रय किया जा रहा था। निगम आयुक्त के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली के उपस्थिति में मांस–मटन किये जा रहे दुकानों पर बेदखली कार्यवाही की गई। लगाये गये बांस–बल्ली को जे.सी.बी. से तोड़कर जप्त किया गया। दुकान संचालक को समझाइस भी दिया गया है कि कहीं भी खुले में दुकान न लगाये। कार्यवाही के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी बसंत देवांगन, जोन स्वास्थ्य अधिकारी बीरेन्द्र बंजारे, स्वच्छता निरीक्षक चुड़ामणी यादव सहित बेदखली टीम उपस्थित रहे।